


फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी शम्भुसिंह विपक्षी लालसिंह
 किस्म मुकदमा वा 6 पत्रावली संख्या 57/20 सन

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>21/11/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>तलवी नं. 2</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>स्वतः वादी शर्त पर</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>16/11/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>M</u> (SDO) मावली</p>	
	<p>16/11/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>तलवी नं. 2</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>स्वतः</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>18/11/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>M</u> (SDO) मावली</p>	(JP)
	<p>18/11/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी को बार-बार आवाजें दिलवाई गईं। समय सांयं 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादी मय वादी अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण तलवी में लम्बित हैं। वादी को तलवी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी तलवी पेश नहीं की गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति सजग नहीं हैं एवं मातृ प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी अनुपस्थित रहे हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम राजरी अदम पेंचरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो। निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलेक्टर
 (SDO) मावली